

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं०-IV-22/2017 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-44 पर दिनांक 24.12.2018 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी धनंजय कुमार चौधरी, पिता-स्व० मोद नारायण चौधरी, साकिन-मौजमाबाद दुधेला, थाना-भरतखंड डयोढ़ी (परबत्ता), जिला-खगड़िया के मृत्योपरान्त उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 07/1996 (परबत्ता थाना) को रद्द किया जाता है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) तथा आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदिका सोनी चौधरी, पति-स्व० धनंजय कुमार चौधरी, साकिन-मौजमाबाद, थाना-भवानीपुर, जिला-भागलपुर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र सं०-2625535 (राईफल) जो भागलपुर गन हाउस, भागलपुर में जमा है को बिक्री करने का आदेश दिया जाता है। आवेदिका को आदेश दिया जाता है कि मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका इस कार्यालय में जमा करते हुए शस्त्र बिक्री के पश्चात् सूचना इस कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

80/-
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-22/2017...1235...../जी०, दिनांक...27/12/18.....
- प्रतिलिपि : सोनी चौधरी, पति-स्व० धनंजय कुमार चौधरी, साकिन-मौजमाबाद, थाना-भवानीपुर, जिला-भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : भागलपुर गन हाउस, आर्म्स एण्ड एम्युनेशन डिलर, राजा एस०एन० रोड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, परबत्ता थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

माम्युन
27/12/18
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।